रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 44 ● अंक – 22 ● कानपुर 16 से 30 नवम्बर 2022 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

IDC अपने पुराने निर्णय पर आज भी कायम

प्रपोज़लकर्ता IDC को संतुष्ट करने में रहे असफ़ल

फिर मिला 4 सप्ताह का समय

अबकी बार सोच समझकर पूरी तैयारी से करें सामना
IDC को दिनांक 22–12–2020 तक प्रस्तुत अभिलेखों में वैज्ञानिक सूचनाओं, आंकड़ो व साक्ष्यों का अभाव है
IDC के सकारात्मक रुख से ही बार–बार मिल रहा समय

Interdepartmental Committee required genuine publications/ literature on the system which could be relied upon, including those from the countries where the electro homoeopathy system had originated and / or was recognized and practiced. He mentioned that authentic and precise data/ literature on the diseases cured by electro homoeopathy mode, patient wise data about disease suffered from, treatment method adopted, electro homoeopathy medicines use in curing the aliments, percentage of recovery etc. should be diligently collected from across the country and properly compiled in presentable documents.

The Chairperson observed that electro homoeopathy practice, perhaps, started in India, in Kanpur in the year 1920. Therefore sufficient data should have been there in the matter by now. He mentioned that when he was in office as the first Secretary in DHR. Government has issued an Order in the year 2010 for not stopping practice/ education in the system. He also referred to an Order of the High Court at Madurai, issued last year, asking the Government to take action against the institutes imparting education in the system. In any case, having officiated the joint body's efforts in collecting some data. He suggested that even now all the organizations might sit together even by way of video conferencing in a collective manner and involving all the trade in the Country, in order to build up a solid date document, based on the experience of treatment over the past hundred years and clinical histories of the treatment carried out in different clinics, hospitals in the country albeit such a process might take some months. He observed that unlike the 1999 expert's committei, which rejected this system outride and based on which Government issued as Order in the year 2003, the present Inter Departmental Committee was giving them enough time and opportunity to make out evidence based presentable case. He observed that this committee was four years old, but it had yet not rejected their proposal, and it was adopting a positive approach towards their cause and wanted them to make a consolidated case with scientific data base. The commitee believes that some good results might have been achieved after treating ailments through the system, but necessary evidence needs to be developed in order to make any headway.

आधी–अधूरी जानकारी फिर घातक साबित

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की शिक्षा एवं चिकित्सा के लिये 25 नवम्बर, 2003 को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये थे जिसके अधीन मान्यता मिलने तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की शिक्षा प्रदान की जानी है तथा दिशानिर्देशों के अनुरुप ही प्रमाण पत्र आदि जारी किये जा सकते हैं, उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने के भी राज्य सरकारों को निर्देश हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षण संस्थाओं द्वारा निरन्तर सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन ही नहीं अपितु इसके विपरीत कार्य किया जा रहा है, विपरीत कार्य करने की अवस्था में केन्द्र सरकार द्वारा इन दिशानिर्देशों के स्पष्टीकरण के सम्बंध में 05 मई, 2010 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसंधान एवं विकास में कोई रोक नहीं है, इसी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थायें पूर्व की भांति चिकित्सा एवं शिक्षा का कार्य कर सकती हैं बशर्ते यह भारत सरकार के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2003 के अनुसार हो।

विदित हो कि 25 नवम्बर, 2003 के आदेश में स्पष्ट है कि जिन चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता नहीं प्रदान की गयी है उसमें बैचलर व मास्टर डिग्री/डिपलोमा जारी न किया जाये तथा पहले से मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ डाक्टर (DR.) शब्द का प्रयोग न करे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर इस आदेश के विपरीत बैचलर व मास्टर डिग्री/डिपलोमा धड़ल्ले से जारी किये जा रहे हैं, बैचलर व मास्टर के लिये मनमाने शब्दों का प्रयोग किये गये हैं जिसका व्यवहारिक रुप से कोई अर्थ नहीं है और न ही वह शब्द चिकित्सा व्यवसाय में सहायक व उपयोगी हो सकते हैं, इसी प्रकार चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों को भी आदेश के विरुद्ध प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं।

देखा जाये तो यहां पर यह सिद्ध हो रहा है कि ऐसे जारी प्रमाण पत्र भविष्य में न तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोई लाभ पहुंचा सकते हैं और न ही प्रमाण पत्र धारी के लिये उपयोगी हो सकते हैं, अभी तो प्रमाण पत्र धारक को यह अच्छा लग रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बैचलर/मास्टर डिग्री/डिपलोमा है परन्तु भविष्य में जब उसे पता चलेगा कि जिस संस्था से उसने अमुक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उसका कोई वैधानिक अस्तित्व ही नही है, अपितु इस भ्रम में उसका बहुमूल्य समय व अर्थ सब नष्ट हो चुका होगा, सोचें तब उसके साथ या उसके मन मस्तिष्क में क्या उथल पुथल होगी यह तो समय ही बतायेगा।

देश में कानून का राज है और वर्तमान केन्द्र की सरकार कानून का पालन कर रही है और वह चाहती है कि जनमानस भी उसके ही अनुरुप कानून का पालन करे, इसमें सरकार को ज़रा भी संकोच नहीं है कि किसी का भी मकान टूटे या फिर दुकान या किसी को जेल ही क्यों न जाना पड़े भले ही वह जज ही क्यों न हो, कानून तो कानून है इसे हर हाल में मानना ही पड़ेगा।

केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को मान्यतादेने के लिये जिस IDC का गठन किया था उसने गठन से अबतक 6 बैठकें की हैं, उसकी प्रत्येक बैठक में यही संदेश मिला कि समिति चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की समस्या का समाधान हो जाये परन्तु उसके समक्ष उपस्थित दावेदारों ने समिति की भावनाओं को हल्के में लिया जबकि समिति ने अपनी प्रत्येक बैठक में कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य दी, इसका उदाहरण वर्तमान छठवीं बैठक में देखा जा सकता है समिति ने अपनी इस बैठक में चौथी बैठक में लिये गये निणर्ययों को अंगिकार किया है समिति ने सम्भवतः यह समझ लिया है कि दावेदारों के पास कहने के लिये कुछ भी नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि दावेदारों के पास वह सब कुछ है जो समिति को वांछित है ।

दावेदार शिक्षा भी देते हैं, औषधि भी निर्मित करते हैं और इन औषधियों का प्रयोग देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक करते हैं, अब इनमें ऐसी क्या चीज़ है जिसे दावेदार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में हिचकिचा रहे हैं, जहां तक बात आँकड़ों की है उन्हें तैयार ही करना होगा यदि इसपर विचार नहीं किया तो 11 जनवरी, 2021 के बाद अबतक जो कुछ भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वह क्या है?

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के पंजीयन हेतु नई व्यवस्था लागू

उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 03 अगस्त, 2016 से ज़िला पंजीयन की नई व्यवस्था लागू की है, पंजीयन की इस व्यवस्था से आज भी अनेक चिकित्सक अनभिज्ञ हैं।

प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से चिकित्सा करने के लिये व्यवस्था है कि चिकित्सक को अपनी परिषद में पंजीकृत होने के साथ–साथ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन देना होता था, लेकिन 03 अगस्त, 2016 को शासन ने एक संशोधित आदेश जारी किया है जिससे व्यवस्था में परिवर्तन आ चुका है, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सी0 एम0 ओ0 से आयुर्वेद/यूनानी एवं होम्यापैथ व इलेक्ट्रो होम्योपैथ आदि डाक्टर मुक्त हो चुके हैं।

एलोपैथ को छोड़कर अन्य विधाओं के डाक्टर अपने विभागों के नियन्त्रण में रहेंगे, पहले सभी विधाओं के डाक्टरों को सी0 एम0 ओ0 कार्यालय में पंजीकरण कराना होता था, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ डाक्टरों को सी0 एम0 ओ0 कार्यालय में पंजीयन का नियम होने के कारण इन विभागों की महत्ता नहीं थी, सी0 एम0 ओ0 कार्यालय पर पहले से ही कार्य का बोझ होने के कारण एलोपैथ को छोड़कर अन्य विधाओं के डाक्टरों की मॉनीटरिंग नहीं हो पाती थी शासन ने नया संशोधित आदेश जारी कर सभी व्यवस्था स्पष्ट कर दी है, अब स्थिति यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के पंजीयन का अधिकार सी0 एम0 ओ0 के स्थान पर बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के द्वारा जनपद स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नामित अधिकारी को दिया गया है, इसके लिये बाकायदा प्रयास तेज़ कर दिये गये हैं बोर्ड इस बात के लिये प्रयासशील है कि अन्य विधाओं की भाँति इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के लिये ऐसी व्यवस्था निश्चित हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को कार्य करने में और अधिक सुग्रहिता का अवसर मिले, जो चिकित्सक अभी तक इस क्षेत्र में शिथिल हैं, वे सक्रियता के साथ पंजीयन का आवेदन प्रेषित कर जनपदीय पंजीयन संख्या प्राप्त कर लें इसलिये अभी भी जिन चिकित्सकों ने यह कार्य नहीं किया है वे चिकित्सक प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण का आवेदन अवश्य प्रस्तुत करें।

आपको यह नहीं भूलना चाहिये कि शासन दिनों दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण के लिये सक्रिय है, यह आभास किसी को भी नहीं है कि प्रदेश सरकार किसी भी दिन कोई महत्वपूर्ण आदेश निर्गत कर सकती है, उस समय जो चिकित्सक निर्धारित सीमाओं के अन्दर नहीं आयेगा उसे व्यर्थ की परेशानी हो सकती है, यह भी सम्भव है कि वह चिकित्सक भविष्य में प्रैक्टिस ही न करने पाये, अस्तु समय रहते अपनी सारी व्यवस्थायें ठीक कर लें अन्यथः हर परिस्थित के ज़िम्मेदार चिकित्सक स्वयं होंगे।

बोर्ड चाह कर भी आपकी कोई मदद नहीं कर पायेगा, यदि विधि सम्मत ढंग से प्रैक्टिस करनी है तो प्रचलित नियमों का पालन करना ही होगा।

वर्तमान में बोर्ड प्रैक्टिशनर रजिस्ट्रेशन के साथ ही जनपदीय रजिस्ट्रेशन उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 04 जनवरी, 2012 के प्राधिकार से करता है।

उत्तर प्रदेश शासन का पत्र देखे पेज 3 पर

आवश्यक सूचना

निम्न जनपदों में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा पंजीकृत व अधिकृत चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित हैं।

आवेदन का प्रारुप वेबसाइट **www.behm.org.in** के **link Job & Employment** से डाउनलोड कर सकते हैं –

आगरा, अम्बेदकर नगर, अमेठी, आज़मगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, बुलन्द शहर, एटा, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कुशी नगर, लखनऊ, मैनपुरी, सन्त कबीर नगर, मुजफ्फर नगर, प्रतापगढ़, शाहजहाँपुर, सुलतानपुर, वाराणसी, औरया, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूँ, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फैज़ाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हापुड़, हरदोई, झाँसी, ज्योतिबा फूलेनगर, कन्नौज, कासगंज, कौशाम्बी, ललितपुर, मथुरा, महोबा, मेरठ, मिरज़ापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, सम्भल, सन्तकबीर नगर, सन्त रविदास नगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र।

रजिस्ट्रार

(पेज 2 से आगे)

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–1
संख्या– 1297 /71–आयुष–1–2016–डब्लू–283/2014
लखनऊ दिनांक 03 अगस्त, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

निजी चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में रोगी के परिवारजनों को उपचार के उपरान्त उपचार सम्बन्धी विभिन्न चिकित्सकीय जॉचों एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–4636/71–आयुष–1–2014–डब्लू–283 /2014, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या–7 जिसका उल्लेख तालिका के कालम–2 में दिया गया है के स्थान पर तालिका के कालम–3 में अंकित विवरण को पढे जाने के आदेश कार्यालय ज्ञाप संख्या–4445/71–आयुष– 1–2014–डब्लू–283 /2014, दिनांक 29, जनवरी 2016 में द्वारा दिये गये थे। व्यवहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत वर्तमान कार्यालय ज्ञाप संख्या–4636/71–आयुष–1–2014–डब्लू–283 /2014, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के बिन्दु संख्या–7 जिसका उल्लेख तालिका के कालम–2 में दिया गया है के स्थान पर तालिका के कालम–4 में अंकित विवरण को पढ़ा जाये।

क0 सं0	पूर्व व्यवस्था	कार्यालय ज्ञाप संख्या–4445/71–आयुष –1– 15–डब्लू–283/2014, दिनांक 29.01.2014 द्वारा संशोधित व्यवस्था	वर्तमान संशोधित व्यवस्था
1	2	3	4
1	"कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अथवा चिकित्सक , चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी /जिला होम्योपैथिक अधिकारीके कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेगें, एवं उन सभी नियमों एवं शर्तो का शत–प्रतिशत पालन करेगें, जो उनको दी जायें।"	"कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अथवा चिकित्सक ,चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आधुनिक चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा हेतु क्षेत्रीय आयुर्वैदिक एवं यूनानी अधिकारी एवं होम्योपैथी चिकित्सा हेतु जिला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेगें, एवं उन सभी नियमों एवं शर्तो का शत–प्रतिशत पालन करेगें, जो उनको दी जायें।"	"(1) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान,यदि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथ) से सम्बन्धित है, तो मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (2) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, यदि वे आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित है, तो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (3) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान, यदि वे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित है, तो जिला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (4) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सक, यदि वे आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथ) विधा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है, तो मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (5) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सक, यदि वे आयुर्वेदिक अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है, तो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। (6) चिकित्सा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कोई भी निजी चिकित्सक, यदि वे होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर है, तो जिला होम्योपैथिक अधिकारी के कार्यालय में अपना पंजीकरण आवश्यक रूप से करायेंगे। उपरोक्त सभी निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान अथवा निजी चिकित्सक उन सभी नियमों एवं शर्तो को शत्–प्रतिशत पालन करेंगे, जो उनको दी जाये।"

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10, दिसम्बर 2014 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगी।

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रश0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014
Email: registrarbehmup@gmail.com

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2914/पाँच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 के अनुसार बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु कार्य करता है तथा प्रदेश के समस्त अधिकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का जनपदीय पंजीयन भी करता है। विस्तृत जानकारी हेतु अपने ज़िले के जनपदीय प्रभारी जिनकी सूची निम्नवत है से सम्पर्क करें।

क्रम	फोटो	नाम	जनपद	पता	मोबाईल
01		गौरव द्विवेदी	उन्नाव	469/2 व्रन्दावन कालोनी, उन्नाव	9935332052
02		रमेश कुमार द्विवेदी	रायबरेली	छजलापुर, आई0टी0आई0, रायबरेली	9307885280
03		अमित कुमार विश्वकर्मा	लखीमपुर	ओदरहना, महेबागंज, लखीमपुर	7398153468
04		सैयद नदीम हुसैन	जौनपुर	97–ए ओलन्दगंज, राजबहादुर कटरा, जौनपुर	8299202529
05		विनय कुमार श्रीवास्तव	महाराजगंज	हमीद नगर, नौतनवां, महाराजगंज	9453914181
06		मुहम्मद इसरार खान	फिरोज़ाबाद	एरांव रोड, सिरसागंज, फिरोज़ाबाद	9634503421
07		नेम सिंह बघेल	हाथरस	विवेक क्लीनिक, आगरा बाईपास रोड सादाबाद, हाथरस	8791443887
08		गणेश सिंह	हमीरपुर	सुमेरपुर, सागर रोड, हमीरपुर	9838714509
09		गया प्रसाद	जालौन	सुजानपुर, बरखेरा, जालौन	8874429538
10		बृज किशोर शर्मा	अलीगढ़	गली न0–2 गोविंद नगर नौरंगाबाद, अलीगढ़	9639520078
11		वकील अहमद	फतेहपुर	खम्बापुर, फतेहपुर–212601	8115210751
12		अयाज़ अहमद	मऊ	के0जी0एस0 ग्रामीण बैंक के नीचे वलीदपुर, मऊ	9305963908

अन्य रिक्त जनपदों में प्रभारी अधिकारी नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा पंजीकृत व अधिकृत चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित हैं।

1 कानपुर
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014

2 लखनऊ
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
8– लाल बाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।